रजिस्टर्ड नं० एल० ३८७

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 22 जनवरी, 1973

माघ 2, 1894 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 277/सत्रह-वि०-1/160/1973

लखनऊ, 22 जनवरी, 1973

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) विधेयक, 1972 पर दिनांक 22 जनवरी, 1973 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1973 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) अधिनियम, 1973

(उत्तर प्रदेश अधिनिय संख्या 5, 1973)

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।]

अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्थाओं का संप्रवर्तन करने और उन्हें खोलने तथा उनमें प्रवेश के लिये तथा अध्यापन के लिये फीस लेने को प्रतिषिद्ध करने, और उनसे सम्बद्ध अथवा आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) अधिनियम, 1973 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अप्राधिकृत चिकित्सा कालेजों को खोलने आदि के लिये शास्ति

2—यदि इंडियन मेडिकल डिग्रीज ऐक्ट, 1916 की धारा 3 में अभिदिष्ट डिग्री, डिप्लोमा, लाइसेंस, प्रमाण-पत्र या अन्य लेख्य-पत्र प्रदत्त, स्वीकृत या जारी करने के लिये उक्त धारा के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति:—

(क) किसी ऐसी संस्था को अनुमत करता है, खोलता है, संगठित करता है, उसका अनुरक्षण या प्रबन्ध करता है, जो पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान में शिक्षण का कार्य करना, संचालन करना, व्यवस्थापन करना या प्रस्तुत करना प्रदर्शित करे; या

(ख) पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान के किसी पाठ्यक्रम में फीस लेकर (चाहे उसे किसी भी नाम से कहा जाय) अथवा बिना फीस के प्रविष्ट करता है अथवा प्रवेश उपलब्ध करता है; या

(ग) पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान में शिक्षण देने के उद्देश्य से व्याख्यान या ट्यूटोरियल के लिये या किसी प्रयोगशाला में प्रयोगों के लिये कोई प्रबन्ध करता है अथवा यह प्रदर्शित करता है कि ऐसा प्रबन्ध किया गया है; या

(घ) खण्ड (क), खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में अभिदिष्ट किसी ऐसी संस्था, पाठ्यक्रम या प्रबन्ध के संबंध में कोई अभिदान, दान या फीस (चाहे उसे किसी भी नाम से कहा जाय) लेता है;

तो उसे तीन वर्ष की अवधि के लिये कठोर कारावास का दण्ड अथवा अर्थ-दण्ड जो 2,000 रुपये तक हो सकता है, दिया जायगा अथवा दोनों दण्ड दिये जायेंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा में पद 'पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान' का वही अर्थ है जो इंडियन मेडिकल डिग्रीज ऐक्ट, 1916 में पद 'वेस्टर्न मेडिकल साइंस' को दिया गया है।

24 नवम्बर, 1972 के पूर्व अप्राधिकृत रूप से खुले चिकित्सा कालेजों के सम्बन्ध में शास्ति आदि

3—(1) जहां किसी व्यक्ति ने 24 नवम्बर, 1972 के पूर्व किसी ऐसी संस्था को खोला हो अथवा संगठित किया हो या खोलने या संगठित करने को अनुमत किया हो जो पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान में शिक्षण का कार्य करना, संचालन करना, व्यवस्थापन करना या प्रस्तुत करना प्रदर्शित करे तथा पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान में शिक्षण देने के उद्देश्य से शिक्षण के किसी पाठ्यक्रम में या व्याख्यान अथवा ट्यूटोरियल अथवा प्रयोगों के हेतु प्रबन्धों में विद्यार्थियों को अभिदान, दान या फीस (चाहे उसे किसी भी नाम से कहा जाय) के भुगतान पर प्रविष्ट किया हो एवम् उक्त दिनांक के पश्चात् ऐसी संस्था का अनुरक्षण अथवा प्रबन्ध अथवा ऐसे प्रबन्धों का आयोजन धारा 3 के अधीन दण्डनीय हो गया हो, तो—

(क) एतदप्रकार प्राप्त अभिदान, दान या फीस अथवा उसको व्यय के बाद बची धनराशि तथा अभिदान, दान या फीस के रूप में प्राप्त धनराशि से ऐसे व्यक्ति द्वारा अर्जित कोई सम्पत्ति अथवा परिसम्पत्तियां जिनके अन्तर्गत कोई भवन, प्रयोगशालायें अथवा साज-सज्जा भी है इस अधिनियम के प्रारम्भ से 15 दिन के भीतर चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश (जिन्हें आगे इस धारा में निदेशक कहा गया है) के सुपुर्द कर दी जायेगी जो उन्हें एतदपश्चात् व्यवस्थित रीति से वितरण अथवा उपयोग के निमित्त न्यास रूपेण रखेगा;

(ख) उपर्युक्त प्रकार से प्रविष्ट कोई विद्यार्थी जिसने उपर्युक्तानुसार अभिदान, दान या फीस का भुगतान किया हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक महीने के भीतर अपने द्वारा भुगतान की गई धनराशि की वापसी के लिये निदेशक से आवेदन कर सकेगा और निदेशक का यह समाधान हो जाने पर कि धनराशि का भुगतान उक्त प्रकार से हुआ था, उक्त प्रकार से भुगतान की गयी धनराशि को अथवा उसके ऐसे अंश को जो खंड (क) में अभिदिष्ट व्यय के बाद बची धनराशि से अनुपाततः उसके लिये उपलब्ध हो, लौटा देगा;

(ग) यदि उपर्युक्त प्रकार से प्रविष्ट सभी विद्यार्थी खंड (ख) के अधीन उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन करते हैं तो निदेशक नकदी से भिन्न सम्पत्ति तथा परिसम्पत्तियों को बेच देगा तथा उन्हें उक्त विद्यार्थियों के बीच अनुपाततः वितरण के निमित्त नकदी में परिवर्तित करेगा;

(घ) यदि निदेशक द्वारा पूर्वगामी खंडों के अधीन कार्यवाही करने के उपरान्त कोई धनराशि तथा अन्य सम्पत्ति एवं परिसम्पत्तियां उनके पास बच रहती हैं तो वह उसे पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान में शिक्षण की व्यवस्था से सम्बद्ध प्रयोजनार्थ उपयोग करेगा;

(ङ) निदेशक ऐसे किसी भी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि वह उसके समक्ष खंड (क) में अभिदिष्ट किसी संस्था अथवा प्रबन्धों अथवा अभिदान, दान या फीस सम्बन्धी कोई लेखा पुस्तिका, रजिस्टर या अन्य लेख्य प्रस्तुत करे;

(च) निदेशक अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी ऐसे भवन या अन्य स्थान में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है जिसके सम्बन्ध में निदेशक अथवा ऐसे व्यक्ति का सकारण विश्वास हो कि वहां ऐसी लेखा पुस्तिकायें, रजिस्टर या अन्य लेख्य रखे जाते हैं तथा इस धारा के अधीन किसी प्रवेश या तलाशी के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 102, 103 तथा 165 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार से उक्त संहिता के अधीन किसी भी प्रवेश या तलाशी के सम्बन्ध में लागू होते हैं;

(छ) निदेशक किसी ऐसे बैंक या अन्य व्यक्ति को जिसके पास खण्ड (क) में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त प्रकार की धनराशि जमा की गयी हो यह अनुदेश देते हुये नोटिस जारी कर सकता है कि वह ऐसे व्यक्ति को ऐसी धनराशि का भुगतान न करे, तथा उस व्यक्ति के बजाय उस धनराशि को अधिकारितायुक्त सिविल न्यायाधीश के न्यायालय में जमा करे, तथा यदि वह व्यक्ति जिसे नोटिस दिया गया हो, ऐसी नोटिस का अनुपालन न करे तो उक्त न्यायालय निदेशक द्वारा तदर्थ आवेदन-पत्र दिये जाने पर ऐसे व्यक्ति को उक्त नोटिस की शर्तों का अनुपालन करने का आदेश दे सकता है, तथा ऐसा आदेश होने पर न्यायालय निष्पादन जारी कर सकता है मानो कि उक्त आदेश उस व्यक्ति के विरुद्ध डिक्री हो तथा ऐसी नोटिस अथवा आदेश के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आर्डर 21 के नियम 133 से 140 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे तथा निदेशक को डिक्रीदार समझा जायेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो—

(क) उपधारा (1) के खंड (क) में अभिदिष्ट किसी धनराशि अथवा अन्य सम्पत्ति अथवा परिसम्पत्ति निदेशक को उसमें उल्लिखित अवधि के भीतर भुगतान करने में अथवा सौंपने में चूक करता है; अथवा

(ख) उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन यथापेक्षित लेखा पुस्तिका, रजिस्टर या अन्य लेखप प्रस्तुत करने में चूक करता है; अथवा

(ग) निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के खंड (च) में निर्दिष्ट कृत्यों का पालन करने में बाधा डालता है अथवा रोकता है;

तीन वर्ष की अवधि के लिये कठोर कारावास के दण्ड से अथवा अर्थ-दण्ड से जो दो हजार रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों दण्डों से दण्डनीय होगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध

4—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो कम्पनी, तथा अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिये कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित होने का वह उत्तरदायी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में दी गई किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दण्ड का उत्तरदायी नहीं होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध को किये जाने से रोकने के लिये सभी सम्यक् उपाय किये।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया जाय और यह सिद्ध हो जाय कि ऐसा अपराध उस कम्पनी के किसी डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है, अथवा ऐसे अपराध का किया जाना किसी डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी की उपेक्षा के कारण आरोप्य है तो कम्पनी के ऐसे डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित होने के उत्तरदायी होंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) 'कम्पनी' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, 'डाइरेक्टर' का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

राज्य सरकार की ओर से परिवाद

5—इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का अभियोजन राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अथवा प्राधिकृत परिवाद के सिवाय संस्थित न हो सकेगा।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19, 1972 का निरसन

6—उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

No. 277(2)/XVII-V—1/160-1972

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Apradhikrit Chikitsha Shikshan Sanstha (Nirvaran) Adhiniyam, 1973 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 1973), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 22, 1973:

UTTAR PRADESH UNAUTHORISED MEDICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (PREVENTION) ACT, 1973

(U. P. ACT NO. 5 OF 1973)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to prohibit the promotion and opening of and the charging of fee for admission to and for tuition in unauthorised medical institutions, and provide for matters connected therewith or ancillary thereto

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-third Year of the Republic of India as follows :—

Short title and extent.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Unauthorised Medical Educational Institutions (Prevention) Act, 1973.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Penalty for opening etc. of unauthorised medical colleges.

2. If any person other than a person authorised under section 3 of the Indian Medical Degrees Act, 1916, to confer, grant or issue degree, diploma, licence, certificate or other document referred to in that section—

(*a*) permits, opens, organises, maintains or manages any institution professing to undertake, conduct, provide or offer any instruction in Western Medical Science ; or

(*b*) admits or offers admission on payment of fee (by whatever name called) or without such payment to any course of instruction in Western Medical Science ; or

(*c*) makes any arrangement or holds out that arrangements have been made for lectures or tutorials or for experiments in any laboratory with a view to imparting instruction in Western Medical Science ; or

(*d*) receives any subscription, donation or fee (by whatever name called) in respect of any such institution, course or arrangement as is referred to in clause (*a*), clause (*b*) or clause (*c*),

he shall be punishable with rigorous imprisonment for a period of 3 years or with fine which may extend to Rs.2,000 or with both.

Explanation—In this section the expression "Western Medical Science" has the same meaning as in the Indian Medical Degrees Act, 1916.

Penalty etc. in relation to unauthorised medical colleges opened before November 24, 1972.

3. (1) Where any person has opened or organised or permitted to be opened or organised any institution professing to undertake, conduct, provide or offer instruction in Western Medical Science and admitted students on payment of subscription, donation or fee (by whatever name called) to any course of instruction or arrangements for lectures or tutorials or for experiments with a view to imparting instruction in Western Medical Science before November 24, 1972, and the maintenance or management of such institutions or the making of such arrangements after the said date has become punishable under section 3, then—

(*a*) any subscription, donation or fee so received, or the unspent amount thereof as well as any property or assets including any building, laboratory or equipment acquired by such person out of the moneys received as subscription, donation or fee shall within fifteen days from the commencement of this Act be delivered to the Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh (hereinafter in this section referred to as the Director), who shall hold it in trust for being distributed or utilized as hereinafter provided ;

(*b*) any student admitted as aforesaid who has paid any subscription, donation or fee as aforesaid may, within one month from the commencement of this Act, apply to the Director for refund of the sum paid by him and the Director may, on being satisfied that the sum was so paid, refund the sum so paid or such proportion thereof as may be available *pro rata* for him out of the unspent amount referred to in clause (*a*);

(*c*) if all the students admitted as aforesaid make applications under clause (*b*) within the time specified therein, the Director may dispose of the property and assets other than the cash and convert the same into cash for being distributed *pro rata* among the said students ;

(*d*) if any sum of money and other property and assets remain at the disposal of the Director after he has taken action under the foregoing clauses, he may utilise it for purposes connected with the provision of instruction in the Western Medical Science ;

(*e*) the Director may require any such person to produce before him any book of account, register or other document relating to such institution or arrangements or to such subscription, donation or fee as are referred to in clause (*a*) ;

(*f*) the Director or any person authorised by him in that behalf may enter and search any building or other place where the Director or such person has reason to believe that such books, registers and other documents are kept and the provisions of sections 102, 103 and 165 of the Code of Criminal Procedure, 1898 shall *mutatis mutandis* apply in relation to any entry or search under this section as they apply in relation to any entry or search under the said Code ;

(g) the Director may issue a notice to any bank or other person with whom any money as aforesaid has been deposited by a person referred to in clause (*a*) calling upon him to desist from paying the amount to such person, and instead to pay it in the Court of Civil Judge having jurisdiction, and if the person to whom notice is issued does not comply with such notice, then the said court may, on an application by the Director in that behalf, order him to comply with the terms of the said notice, and on such order, the Court may issue execution as though such order were a decree against that person and the provisions of rules 133 to 140 of Order 21 in the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908, shall *mutatis mutandis* apply in relation to such notice or order and the Director shall be deemed to be decree holder.

(2) Any person who—

(*a*) fails to pay or deliver any sum or other property or asset referred to in clause (*a*) of sub-section (1) within the time specified therein to the Director ; or

(*b*) fails to produce before the Director any book of account, register or other document as required under clause (*e*) of sub-section (1) ; or

(*c*) obstructs or prevents the Director or any person authorised by him from performing any of the functions specified in clause (*f*) of sub-section (1) ;

shall be punishable with rigorous imprisonment for a period of three years or with fine which may extend to two thousand rupees or with both.

Offences by companies.

4. (1) If the person committing an offence under this Act, is a company, the company as well as every person in charge of and responsible to the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any such offence has been committed and it is proved that the offence has been

committed with the consent or connivance of or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation—For the purposes of this section—

(*a*) "Company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(*b*) "Director" in relation to a firm, means a partner in the firm.

Complaint on behalf of the State Government.

5. No prosecution for an offence punishable under this Act shall be instituted except on a complaint by or on the authority of the State Government.

Repeal of U. P. Ordinance No. 19 of 1972.

6. The Uttar Pradesh Unauthorised Medical Educational Institutions (Prevention) Ordinance, 1972, is hereby repealed.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 391 गजट (हिन्दी)—1973 1,982+200 (मे०)।